16	26	आरंदोरा वन भूमि	1071	आरक्षित वन भूमि	0.090
17	2	आसना	132	राजस्व वन भूमि	0.008
18	9	परचनपाल	1	राजस्व वन भूमि	0.010
19	10	महुपाल बस्ती	85	राजस्व वन भूमि	0.002
20	19	गंजला	513	राजस्व वन भूमि	0.001
21	19	मुंजला	514	राजस्व वन भूमि	0.003
22	20	मुंजला	503	राजस्व वन भूमि	0.002
23	21	तारागांव	432	राजस्व वन भूमि	0.008
24	22	तारागांव	429	राजस्व वन भूमि	0.002
25	23	तारागांव	413	राजस्व वन भूमि	0.007
26	24	तारागांव	228	राजस्व वन भूमि	0.005
27	27	मानपुरी	443	राजस्व वन भूमि	0.004
28	28	मानपुरी	445	राजस्व वन भूमि	0.005
29	8	मेटावाड़ा	79	राजस्व वन भूमि	0.005
30	1	आरक्षित	1718	आरक्षित वन भूमि	0.029

चूँकि प्रस्तावित भूमि राजस्व अभिलेख में छोटे/बड़े झाड़ के जंगल मद में दर्ज है, जो राजस्व वन भूमि श्रेणी है । जिस पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 प्रभावशील है।

अतएव उक्त भूमि का गैर वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग में लिए जाने के संबंध में विधिवत् वन विभाग से भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। यदि वन विभाग द्वारा उक्त भूमि के संबंध में नियमानुसार भू-प्रत्यावर्तन की कार्यवाही की जाती है, तो इस विभाग को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

(अमित कटारिया)
कलेक्टर
जिला बस्तर

पृ0क्रमांक / क / रीडर / 2016

जगदलपुर, दिनांक 4 / 08 / 2016

प्रतिलिपि :-

वन मण्डलाधिकारी, बस्तर वन मंडल (रा0) जगदलपुर की ओर सूचनार्थ ।

(अमित कटारिया)
कलेक्टर
जिला बस्तर

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र

इस परियोजना हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार शासन द्वारा निर्धारित प्रत्याशा मूल्य की राशि हेतु छुट दी गई है। पत्र संलग्न है।

(अमन कुमार सिंह)
महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड
रायपुर छत्तीसगढ़

[illegible]

छत्तीसगढ़ शासन

वन विभाग,

वन कल्याण शिक्षा भवन, मंत्रालय, रायपुर

क्रमांक / एफ-7-8 / 2001 / 10-2, रायपुर दिनांक / / 2008

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव /
प्रमुख सचिव / सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
विषय
मंत्रालय रायपुर ।

विषय:- Hon'ble Supreme Court's orders dated 28.03.2006 and order dated 09.05.2008 in IA No. 826 in 560 and related IA's regarding the rate of the Net Present Value (NPV) of forest land

संदर्भ:- श्री एम.के. शिवराजका, सदस्य सचिव, केन्द्रीय सशक्त समिति का पत्र क्रमांक 1-19/सी.ई.सी./एस.सी./2006-आर्ट, दिनांक 05.06.2008.

---0---

मान्यवर,

माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रकरण क्रमांक 202/1995 गोदा वर्मन विरूद्ध भारत सरकार के प्रकरण में I. A. No. 826 में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया है । इस प्रकरण के अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा श्रीमति कंचन चोपड़ा की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया था । इस समिति के द्वारा पूरे भारत वर्ष के वनों को इकोलाजिकल क्लासेस में बांटकर निम्नानुसार Net present Value की दरें प्रस्तावित की है :-

Eco Value Class	Very Dense Forest	Dense Forest	Open Forest
Class I	10,43,000	9,39,000	7,30,000
Class II	10,43,000	9,39,000	7,30,000
Class III	9,87,000	8,03,000	6,26,000
Class IV	6,20,000	5,63,000	4,38,000
Class V	9,39,000	8,45,000	6,57,000
Class VI	9,91,000	8,97,000	6,99,000

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नई दरें लागू करने के निर्देश दिये हैं । माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित कार्यों हेतु वन भूमि के उपयोग होने की

निम्नांकित प्रकार के [illegible] पर [illegible] होगी :

	Gatagory	प्रकरण मूल्य से छूट देने वाली का विवरण
	1) स्कूल 2) अस्पताल 3) गैर व्यावसायिक खेल कूद के मैदान 4) ग्रामीण सामुदायिक केन्द्र 5) पानी की टंकी 6) निस्तारी तालाब 7) पीने के पानी हेतु 4 इंच भूमिगत पाईप लाईन बिछाना 8) ग्रामीण क्षेत्रों में 22 के0व्ही0 विद्युत लाईन बिछाना	एक हेक्टेयर तक वनभूमि के व्यपवर्तन के प्रकरणों में प्रत्याशा मूल्य से पूर्ण छूट होगी बशर्ते :- A. कोई वृक्ष न कट रहा हो । B. वैकल्पिक वन भूमि उपलब्ध न हो । C. परियोजना का स्वरूप गैर वाणिज्यिक हो तथा शासन की योजना/अर्धशासकीय योजना का भाग हो । D. आवेदित वन क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभ्यारण्य का भाग न हो ।
(I)	अभ्यारणों एवं राष्ट्रीय उद्यानों में बसे गांवों के पुर्नस्थापना हेतु वैकल्पिक वन भूमि ।	प्रत्याशा मूल्य से पूर्ण छूट ।
(II)	वन क्षेत्रों में स्थित नदी/नालों से बोल्डर/रेत एकत्रित करना ।	इन प्रकरणों में प्रत्याशा मूल्य से पूर्ण छूट का प्रावधान है बशर्ते कि :- A. आवेदित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यप्राणी अभ्यारण्य के बाहर स्थित हो । B. इस क्षेत्र में पूर्व से कोई खनन पट्टा स्वीकृत न हो । C. कार्य जिसमें बोल्डर/रेत का विक्रय भी शामिल है का क्रियान्वयन शासकीय विभाग या इ[illegible] उपक्रम या ईको विकास समितियों या संयुक्त वनप्रबंध समितियों द्वारा किया जाए । D. कार्य वनों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए अनिवार्य हो । E. बोल्डर/रेत के विक्रय से प्राप्त धनराशि का उपयोग वनों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए किया जाना हो ।
(III)	भूमिगत आवेदक के द्वारा बिजली लाईन बिछाना ।	इन प्रकरणों में प्रत्याशा मूल्य से पूर्ण छूट का प्रावधान है बशर्ते कि :- A. कोई वृक्ष नहीं कट रहा हो । B. आवेदित वन क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभ्यारण्य का भाग न हो ।

[illegible]

[illegible]

उपरोक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की कार्यान्वयन संलग्न प्रेषित है। कृपया नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(जी.सालेन्द्र सिंह)
सचिव,
छ.ग.शासन, वन विभाग
रायपुर दिनांक 01/08/2008

पृ0क्र0/एफ-7-8/2001/10-2
प्रतिलिपि

1. श्री सी.डी.सिंह, अतिरिक्त महानिरीक्षक (F.C.A.) भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सी.जी.ओ.काम्प्लेक्स लोधी रोड नई दिल्ली।
2. मुख्य वन संरक्षक, (ले.) भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय परिवहन भवन लिंक रोड नं-3 ई-5, रविशंकर नगर भोपाल (म.प्र.)।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ रायपुर।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, छत्तीसगढ़।
5. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ रायपुर।
6. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, रायपुर।
7. समस्त वन संरक्षक।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

सचिव,
छ.ग.शासन, वन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़

[illegible] मेडिकल कॉलेज रोड, रायपुर (छत्तीसगढ़)
[illegible]

पृ0क्र0/भू-प्रबंध/विविध/ 185
प्रतिलिपि—

रायपुर, दिनांक 19/08/2008

1. समस्त वन संरक्षक छ.ग.
2. [illegible]
3. [illegible]

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक (भू प्रबंध)
नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए. 1980)
छत्तीसगढ़ रायपुर

Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA Remittances to precede 2nd stage clearance.

(भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक/7-1/2004 (CAMPA) Meeting 3068 दिनांक 12.05.2011)

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के अनुसार 1.000 हे. तक भूमिगत आप्टिकल फाइबर केबल लाईन बिछाये जाने के व्यपवर्तन प्रकरणों में प्रत्याशा मूल्य से पूर्ण छूट प्रदान की गई है।

(राजु अगसिमनि)
(भा.व.से.)
वनमंडलाधिकारी
वनमण्डल बस्तर जगदलपुर

"A detailed note on Siol Productivity or the lack of it"

(भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक/FNo. 2-1/2003-FC दिनांक 06.01.2011)

आवेदित क्षेत्र में भूमि की दसा प्रायः रेतीली दूमट/चिकनी दूमट/कंकरीली/लाल लेटेराईट/जलोढ़ मिट्टी है। भूमि की दशा प्राकृतिक (GEO-EOLOGICAL) कारणों से है। 0.4 से 0.6 के मध्य घनत्व का धारित वन विद्यमान है। ग्राम से लगे होने के कारण पुनरूत्पादन पर्याप्त नहीं है।

(जी.आर.राव)
प.अ.जगदलपुर(सा.)

(पंकज राजपूत)
(भा.व.से.)
परिविक्षाधीन प.अ.बस्तर

(सुषमा जे.नेताग)
प.अ.बकावण्ड

(कमल तिवारी)
प.अ. भानपुरी

(एन.आर.खुंटे)
उप वनगण्डलाधिकारी
जगदलपुर उप वनमण्डल

(टी. आर. मरई)
उप वनगण्डलाधिकारी
बस्तर उप वनमण्डल जगदलपुर

(राजु अगरिगनि)
(भा.व.से.)
वनमंडलाधिकारी
वनगण्डल बस्तर, जगदलपुर

परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र

(भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक/FNo. 2-1/2003-FC दिनांक 06.01.2011)

बस्तार वनमंडल के अंतर्गत रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा इस परियोजना हेतु द्वारा वन भुमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य आरम्भ नही किया है एवं वन विभाग के नियमानुसार स्वीकृति मिलने के पुर्व कोई भी कार्य नही किया जावेगा।

(अमन कुमार सिंह)
महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड
रायपुर छत्तीसगढ़

Diversion of large area (more than 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980- Stipulation of additional condition (The user agency shall establish and operate a Vacational Training Institute)

(भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक/ FNo. 11-9/1998-FC दिनांक 04.01.2011)

इस केटेगिरी के अन्तर्गत नही आता है।

(अमन कुमार सिंह)
महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड
रायपुर छत्तीसगढ़

कण्डिका क्रमांक – 41

पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण

मेसर्स रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड रायपुर,छत्तीसगढ़ द्वारा बस्तर वनमंडल के अंतर्गत वनसंरक्षण 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु जगदलपुर से भानपुरी. तक कुल 39.48 किमी. तक कुल रकबा 0.699 हें. गैर वानिकी कार्य हेतु आप्टिकल फायबर केबल बिछाने के लिए मांग की गई है।वनभूमि का प्रत्यावर्तन प्रस्ताव दिनांक 26/07/2016 प्राप्त हुआ एवं इस प्रस्ताव का रजिस्ट्रेशन क्रमांक **FP/CG/Other/20422/2016** दिनांक 02/09/2016है। आवेदक से पंजीयन शुल्क रू. 6000.00 की राशि बैंक ड्राफ्ट क्रमांक 110768 दिनांक 19.07.2016 है। आवेदक प्रस्संकरण (प्रोसेसिंग) शुल्क रू. 29000.00 बैंक ड्राफ्ट क्रमांक 110752 दिनांक 19.07.2016 कुल राशि 35000.00 वसूल की जाकर उसे कोषालय में चालान नम्बर ..... दिनांक ..... द्वारा वन मण्डलाधिकारी बस्तर (नोडल अधिकारी) के पी. डी. खाता क्रमांक –..... में जमा कर दिया गया है।

(राजु अगसिमनि)
भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल बस्तर, जगदलपुर

कण्डिका क्रमांक – 42

वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षण (वन्यप्राणी) का अभिमत (विशेषकर खनन प्रकरणों में)

बस्तर वनमंडल के अंतर्गत इस परियोजना हेतु वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षण (वन्यप्राणी) का अभिमत कि आवश्यकता नही है।

(राजु अगसिमनि)
(भा.व.से.)
वनमंडलाधिकारी
वनमण्डल बस्तर जगदलपुर

विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण

(भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक/6-CHC 022/2010-BHO/934 दिनांक 24.05.2010)

बस्तर वनमंडल के अंतर्गत इस परियोजना हेतु द्वारा ओ एफ सी लाइन बिछाने कार्य प्रस्तावित है अतः इस प्रपत्र की आवश्यकता नही है।

(अमन कुमार सिंह)
महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड
रायपुर छत्तीसगढ़

प्रस्ताव में अन्य (Misc) कमियों का विवरण

(1) डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोट

(अमन कुमार सिंह)
महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड
रायपुर छत्तीसगढ़

प्रपत्र-4
(देखें नियम-13)

ग्राम सभा उपस्थिति पंजी

ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति पंजी

1. ग्राम पंचायत का नाम .....
2. ग्राम सभा का नाम .....
3. सम्मिलन का तारीख .....
4. सम्मिलन का स्थान .....
5. सम्मिलन का समय .....

अनुक्रमांक (1)	सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों के नाम (2)	सदस्यों के हस्ताक्षर (3)
		[illegible]
31	[illegible]	[illegible]
32	[illegible]	[illegible]
33	[illegible]	[illegible]
34	[illegible]	[illegible]
35	[illegible]	[illegible]
36	[illegible]	[illegible]
37	[illegible]	[illegible]
38	[illegible]	[illegible]
39	[illegible]	[illegible]
40	[illegible]	[illegible]
41	[illegible]	[illegible]

अनुक्रमांक (1)	सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों के नाम (2)	सदस्यों के हस्ताक्षर (3)

[illegible]

[illegible] की [illegible]

का कार्यवाही विवरण

[illegible]

[illegible]

[illegible] की अध्यक्षता में एक सभा की सभा आयोजित की गयी। इस बैठक में सभा सभा एवं सभा समिति के [illegible] उपस्थित [illegible] उपस्थित थे। विषय में निम्न चर्चायें की गई:-

[illegible] के अन्तर्गत [illegible] के पिर [illegible] भूमि [illegible] के लिए [illegible] भूमि [illegible] भूमि [illegible] भूमि

कार्यालय ग्राम पंचायत – .....

,विकासखण्ड..... जिला .....

प्रति , रिलायंस जियो इन्फोकाम लि. रायपुर (छ. ग.)

विषय :– आप्टिकल फाइबर बिछाए जाने के संबंध में

अनुमोदित किया जाता है कि ग्राम पंचायत ..... के अंतर्गत स्थित वन क्षेत्र (परिक्षेत्र क्र..... .....) में रिलायंस जियो इन्फोकाम द्वारा एन. एच. 30 के किनारे से 4 जी टेलीकाम सेवा हेतु ऑप्टिकल फाइबर बिछाने हेतु वन भूमि के अधिकारी के लिए दावा प्रारूप प्रकरण की स्थल निरीक्षण को परिसर रक्षक एवं पंचायत सदस्यों के द्वारा किया गया जो परिसर वन क्षेत्र मे है। यह कि उक्त वन क्षेत्र में निरीक्षण उपरान्त यह सुनिश्चित किया जाता है कि इस कार्य से किसी भी प्रकार के वृक्ष व पर्यावरण को कोई क्षति नहीं होगी ऑप्टिकल फाइबर केवल बिछाने से ग्राम पंचायत ..... को कोई आपत्ति नही है।

अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत उक्त स्थल मे 4जी टेलीकाम सेवा के लिए ऑप्टिकल फाइबर केवल बिछाने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत ....द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

सदस्य

सरपंच
ग्राम पंचायत

प्रपत्र– "ब"

ग्राम सभा .....की बैठक दिनांक .....

का कार्यवाही विवरण।

ग्राम: .....

वन मण्डल: .....

आज दिनांक ..... को ग्राम ..... के सरपंच श्री/श्रीमती .....

.....की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। उक्त बैठक में कुल सदस्य एवं वन अधिकार की ..... सदस्य 0.0/..... प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई:-

1. ग्राम ..... में आवेदक ..... के पेश अभिलेखों आदि के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु ..... हे. वन भूमि ..... हे. राजस्व वन भूमि, कुल ..... वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव अवैध विस्तृत चर्चा की गयी।

2. प्रस्ताव के तथ्य, उद्देश्य एवं उसका प्रस्तावित आवश्यकता किए जाने वाले वन भूमि के व्यपवर्तन बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।

3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि ....कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी अधिवासी, गैर परम्परागत वनवासी इस प्रस्तावित वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य आजीविका गतिविधि नहीं संचालित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी अधिवासी या गैर परम्परागत वनवासी का इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न अधिवासी / गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों का वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में)
1	[illegible]	[illegible]	—

अतः यह सर्वसम्मति से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि 0.125 हे. वन भूमि / 0.000 हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग 0.125 हे. वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोजन हेतु प्रस्ताव [illegible] (आवेदक) [illegible] को अग्रे प्रस्तावित नियमों एवं प्रावधान अनुसार अग्रसारित की जावे।

हस्ताक्षर

नाम .....

पदनाम .....

उपस्थित सदस्य गण

क्रमांक नाम हस्ताक्षर / अंगूठा निशान

कार्यालय ग्राम पंचायत – .....

विकासखण्ड ..... जिला .....

क्रमांक / ओएफसी / ग्रा / अनुमोदन / 2016–17 दिनांक

4 जी टेलीकॉम सर्विस हेतु ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु ग्राम पंचायत का अनुमोदन

आवेदक मेसर्स रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड द्वारा 4 जी टेलीकॉम सर्विस प्रदान करने हेतु वर्ग परिक्षेत्र ..... से ..... तक कुल ..... किमी. मार्ग ऐच्छानुसार ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु पत्र सूचि के अधिकारों के लिए हमारा प्राप्त आवेदन की गहन निरीक्षण किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार के वृक्ष प्रभावित नहीं होंगे न ही किसी भी प्रकार का ग्रामवासियों को नुकसान होगा और न ही इसमें ग्राम पंचायत को किसी भी प्रकार की क्षति होगी ।

ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के कार्य से ग्राम पंचायत को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है । अतः उत्तरांचल अधिनियम 1985 के तहत उक्त स्थल में 4 जी टेलीकॉम सर्विस हेतु ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाए जाने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदन किया जाता है ।

उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर –

प्रधान
ग्राम पंचायत .....
विकास खण्ड .....

प्रपत्र-"ब"

ग्राम सभा [illegible] की बैठक विवरण

वन कार्यवाही विवरण

ग्राम: [illegible]

स्थान: [illegible]

आज दिनांक [illegible] को ग्राम ..... के पंचायत भवन/सामुदायिक भवन ..... की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के ..... सदस्य ..... उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गयी:

1. ग्राम ..... में आवेदक [illegible] ने वन अधिकार मान्यता पत्र भूमि के व्यपवर्तन हेतु [illegible] है, वन भूमि [illegible] राजस्व वन भूमि, कुल [illegible] वन भूमि [illegible]

कार्यवाही बैठक की नकल

दिनांक [illegible]

सत्य प्रतिलिपि

कार्यालय,ग्राम-पंचायत:- [illegible] विकास खण्ड : [illegible] जिला: [illegible]

क्र.	उपस्थित पंचों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

क्रमांक.....[illegible].....

दिनांक [illegible]

सचिव

ग्राम पंचायत:- [illegible]

वि.ख. [illegible]

प्रपत्र "ग"

ग्राम सभा ..... की बैठक विवरण

का कार्यवाही विवरण

ग्राम: ..... दिनांक: .....

स्थान: ..... के समक्ष श्री/श्रीमती.....

आज दिनांक ..... को ग्राम ..... की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के ..... की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के ..... सदस्य ..... उपस्थित उपस्थित थे। बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई:-

1. ग्राम ..... के आवेदक ..... (गैर वानिकी प्रयोजन) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु ..... है. वन भूमि, ... है. राजस्व वन भूमि, कुल ..... है. वन भूमि का प्रस्ताव की गई है। इस प्रस्ताव शब्द विस्तृत चर्चा की गयी।

2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाले वन भूमि के व्यपवर्तन उपरान्त ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।

3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि .... कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रस्तावित वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य आजीविका गतिविधि नहीं संचालित कर रहे है एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी / गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (है.में)
	[illegible]	[illegible]	—

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि ..... है. वन भूमि / 0.010 है. राजस्व वन भूमि, कुल योग 0.010 है. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स [illegible] (आवेदक) ..... को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जाये।

हस्ताक्षर .....

नाम .....

सदस्य [illegible]

सचिव

ग्राम पंचायत [illegible]

वन पंचायत, [illegible]

उपस्थित सदस्य गण:

क्रमांक नाम हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

कार्यालय ग्राम पंचायत – .....

विकासखण्ड..... जिला .....

प्रति , रिलायंस जियो इन्फोकाम लि. रायपुर (छ. ग.)

विषय :– आप्टिकल फाइबर बिछाए जाने के संबंध में

अनुमोदित किया जाता है कि ग्राम पंचायत ..... अंतर्गत स्थित वन क्षेत्र (परिक्षेत्र का.....) में रिलायंस जियो इन्फोकाम द्वारा एन. एच. 30 के किनारे से 4 जी टेलीकाम सेवा हेतु ऑप्टिकल फाइबर बिछाने हेतु वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप प्रकरण की स्थल निरिक्षण को परिसर रक्षक एवं पंचायत सदस्यों के द्वारा किया गया जो परिसर वन क्षेत्र मे है। यह कि उक्त वन क्षेत्र में निरिक्षण उपरान्त यह सुनिश्चित किया जाता है कि इस कार्य से किसी भी प्रकार के वृक्ष व पर्यावरण को कोई क्षति नहीं होगी ऑप्टिकल फाइबर केवल बिछाने से ग्राम पंचायत ..... को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत उक्त स्थल मे 4जी टेलीकाम सेवा के लिए ऑप्टिकल फाइबर केवल बिछाने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत ..... द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

सदस्य

सरपंच

प्रपत्र – "ब"

ग्राम सभा [illegible] की बैठक दिनांक 02/09/2016

का कार्यवाही विवरण।

ग्राम: [illegible]

[illegible]

आज दिनांक 02/09/16 को ग्राम [illegible] के सरपंच श्री/श्रीमती [illegible] की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आयोजित की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के [illegible] की उपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई:—

1. ग्राम [illegible] सदस्य [illegible] प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई:—

2. ग्राम [illegible] ने आवेदक [illegible] ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु [illegible] है. वन भूमि [illegible] है राजस्व वन भूमि, कुल [illegible] है. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी।

2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।

3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि [illegible] कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रस्तावित वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संचालित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी / गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (है.में)
1	परचनपाल	निरंक	

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि [illegible] है. वन भूमि / [illegible] है. राजस्व वन भूमि, कुल भाग [illegible] है. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स [illegible] (आवेदक) [illegible] लि० को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

हस्ताक्षर

नाम

सरपंच

सचिव
ग्राम पंचायत परचनपाल
जनपद [illegible]

सील

उपस्थित सदस्य गण:

क्रमांक नाम हस्ताक्षर / अंगूठा निशान

ग्राम सभा

प्रपत्र-4 (देखें नियम-13)

ग्राम सभा के

1. ग्राम पंचायत का नाम [illegible]
2. अधिवेशन का स्थान [illegible]

अनुक्रमांक (1)	ग्राम सभा के समक्ष रखे गये विषय (2)	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 6(2) के प्रावधानों के क्रियान्वयन के संबंध में बैठक में आम राय बनाया गया	ग्राम अधिकार
[illegible]	जैवविविधता / जिला पंचायत / जनपद पंचायत / ग्राम पंचायत वन समिति अवधारणा के संबंध में उपस्थित उक्त उक्त विषयवस्तु को ग्राम सभा के संज्ञान में अधिसूचित किया जाता है।	के साथ अनुसूचित

कार्यवाही पंजी

कार्यवृत्त अभिलेख

3. उपस्थित ग्राम सदस्यों की संख्या [illegible]
4. अधिवेशन की तारीख [illegible] 5. अधिवेशन का समय [illegible]

अधिवेशन का कार्यवृत्त (3)
उपरोक्त ग्राम सभा की बैठक में सर्वसम्मति से अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 6(2) के प्रावधानों के क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई।
उपरोक्त ग्राम सभा की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर ग्राम पंचायतों की ग्राम सभा क्षेत्र के अन्तर्गत में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तुत है। शासकीय भवन में प्रस्ताव [illegible] सामुदायिक भवन में पंचायत [illegible] नाला का निर्माण आयुष्मान [illegible]

प्रपत्र - 4
(देखिए नियम-15)

ग्राम सभा उपस्थिति पंजी

ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति पंजी

1. ग्राम पंचायत का नाम : [illegible]
2. ग्राम सभा का नाम : [illegible]
3. सम्मिलन का तारीख : 22/06/2016
4. सम्मिलन का स्थान : [illegible]
5. सम्मिलन का समय : [illegible]

अनुक्रमांक (1)	सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों के नाम (2)	सदस्यों के हस्ताक्षर (3)
(1)	श्री [illegible] (सरपंच)	
(2)	श्री [illegible] (उपसरपंच)	[illegible]
(3)	श्री [illegible] ठाकुर	[illegible]
(4)	श्री [illegible] ठाकुर (उपसरपंच)	
(5)	श्रीमति [illegible]	
(6)	-/- [illegible] ठाकुर	[illegible]
(7)	-/- [illegible] ठाकुर	[illegible]
(8)	[illegible]	[illegible]
(9)	[illegible]	
(10)	सरिता	[illegible]
(11)	[illegible]	
(12)	[illegible]	
(13)	[illegible]	

अनुक्रमांक (1)	सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों के नाम (2)	सदस्यों के हस्ताक्षर (3)
(14)	[illegible]	[illegible]
(15)	[illegible]	[illegible]
(16)	[illegible]	[illegible]
(17)	[illegible]	[illegible]
(18)	[illegible]	[illegible]
(19)	[illegible] ठाकुर	[illegible]
(20)	[illegible]	[illegible]
(21)	[illegible] ठाकुर	[illegible]
(22)	[illegible]	[illegible]
(23)	[illegible]	[illegible]
(24)	[illegible]	[illegible]
(25)	[illegible]	[illegible]
(26)	[illegible]	[illegible]
(27)	[illegible]	[illegible]
(28)	[illegible]	[illegible]
(29)	[illegible]	[illegible]
(30)	[illegible]	[illegible]

प्रपत्र- 3
(देखिए नियम 13)

ग्राम सभा उपस्थिति पंजी

ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति पंजी

1. ग्राम पंचायत का नाम .....
2. ग्राम सभा का नाम .....
3. बैठक का तारीख .....
4. बैठक का स्थान .....
5. बैठक का समय .....

अनुक्रमांक (1)	बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम (2)	सदस्यों के हस्ताक्षर (3)
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम	सदस्यों के हस्ताक्षर (3)
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र

संलग्न है।

(अमन कुमार सिंह)
महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड
रायपुर छत्तीसगढ़

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बस्तर जिला जगदलपुर

/ / ज्ञापन / /

क्रमांक / क / रीडर / 2016 जगदलपुर, दिनांक 24 / 08 / 2016

प्रति,

श्री अमन कुमार सिंह
महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड
रायपुर छ0ग0 ।

विषय :— अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत् ।

संदर्भ :— आपका पत्र क्रमांक / रिलिइंलि / आकाके / वन भूमि / 2016—17 दिनांक 01.08.2016 ।

— :: —

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें । राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक—30 जगदलपुर से भानपुरी क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित राजस्व वन भूमि पर 4 जी टेलीकॉम सर्विस के लिए आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु नीचे लिखे ग्रामवार राजस्व वन भूमि को भू—प्रत्यावर्तन करना उल्लेखित किया गया है :—

क्रमांक	पैच क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	वन भूमि का प्रकार	डायवर्सन क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	2	आरक्षित वन भूमि	1333	आरक्षित वन भूमि	0.026
2	3	आरक्षित वन भूमि	1334	आरक्षित वन भूमि	0.070
3	4	मेटावाड़ा	283	राजस्व वन भूमि	0.003
4	5	आरक्षित वन भूमि	1335	आरक्षित वन भूमि	0.028
5	6	मेटावाड़ा	23	राजस्व वन भूमि	0.004
6	7	मेटावाड़ा	21	राजस्व वन भूमि	0.014
7	7	मेटावाड़ा	7	राजस्व वन भूमि	0.010
8	11	महुपाल बरई	34	राजस्व वन भूमि	0.006
9	12	महुपाल बरई	1	राजस्व वन भूमि	0.005
10	13	बस्तर	454 / 1	राजस्व वन भूमि	0.096
11	14	आरक्षित वन भूमि	1428	आरक्षित वन भूमि	0.145
12	15	बालेंगा	696	राजस्व वन भूमि	0.005
13	16	बालेंगा	698	राजस्व वन भूमि	0.013
14	17	चपका	233 / 1	राजस्व वन भूमि	0.021
15	18	आरक्षित वन भूमि	1086	आरक्षित वन भूमि	0.061

प्रपत्र—"ब"

ग्राम सभा [illegible] की बैठक दिनांक [illegible]

वन कार्यवाही विवरण

ग्राम: [illegible] दिनांक [illegible]

ग्राम: .....

आज दिनांक ..... को ग्राम [illegible] के सरपंच श्री/श्रीमती [illegible] की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के [illegible] सदस्य ..... उपस्थित थे। बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई:-

1. ग्राम [illegible] में आवेदक [illegible] के (गैर अधिसूचित कार्य) के लिए वन भूमि के अन्यकरण हेतु ..... है. वन भूमि [illegible] राजस्व वन भूमि, कुल [illegible] वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी।

2. प्रस्ताव के लाभ, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित अन्यकरित किए जाने वाली वन भूमि के अन्यकरण बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।

3. इस वन अन्यकरण प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि ..... कार्य के अन्यकरण के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी अधिसूचित, गैर अधिसूचित एवं प्रस्तावित इस प्रस्तावित वन भूमि पर कृषि, चर्च, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संचालित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी अधिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न अधिवासी / गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र निर्गमित किया गया है।

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में.)
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

अतः यह प्रस्ताव ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि ..... है. वन भूमि / [illegible] है. वन भूमि, कुल योग [illegible] वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु कार्य [illegible] में [illegible] [illegible] को अन्य प्रस्तावित नियमों एवं प्रावधान अनुसार अन्यकरित की जाए।

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पदनाम .....

सरपंच

नील ग्राम पंचायत [illegible]

जनपद [illegible] (उ.प्र.)

उपस्थित सदस्य गण

क्रमांक नाम हस्ताक्षर / अंगूठा निशान

ग्राम सभा

ग्राम सभा के

1. ग्राम पंचायत का नाम
2. बैठक का स्थान

अनुक्रमांक (1)	ग्राम सभा के समक्ष रखे गये विषय (2)	
	कार्य चर किये गये कार्य का मस्टरोल पर दिये गये श्रम का उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी प्रस्ताव पारित किया जाए।	
		मतदाता
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	
	6.	
	7.	
	8.	
		कुल योग
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	
	6.	
	7.	

कार्यवाही पंजी

Jaisal

कार्यवृत्त अभिलेख

4. उपस्थित ग्राम सदस्यों की संख्या: 46

5. बैठक की तारीख: 5/11/2015 6. बैठक का समय: 2:00 बजे

बैठक के कार्यवृत्त

(3)

[illegible] वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के दिसम्बर 2015 तक ग्राम पंचायत के तेल जोरवा, कलोट, [illegible] की लगत मूल्य पर दिये गये कार्य का उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने पर सर्वसम्मति से पारित हुआ।

कार्य	राशि	व्यय
[illegible]	1,[illegible]	[illegible]
[illegible]	2,40,000/-	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

ग्राम सभा

ग्राम सभा के

1. ग्राम पंचायत का नाम : लाखागढ़
2. बैठक का स्थान : सामुदायिक भवन - लाखागढ़

क्रमसंख्या (1)	ग्राम सभा के समक्ष रखे गये विषय (2)	
1	ग्राम सभा की पूर्व बैठक में पारित प्रस्ताव के क्रियान्वयन का पालन सुनिश्चित।	
2	विभिन्न योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में वित्तीय वर्ष तक प्राप्त व्यय का ब्यौरा जैसे इन्दिरा आवास, प्रधानमंत्री सड़क, आम की लगाई	

स्थान : ..... तारीख : .....

कार्यवाही पंजी

आहरण एवं संवितरण

1. वित्तीय वर्ष जिसकी पंजी रखा : 4 b
4. बैठक की तारीख : 6/10/2015 बैठक का समय : 2:00 बजे

क्रमसंख्या (1)	कार्यवाही के ब्यौरे (2)	
	आज दिनांक 06/10/2015 को ग्राम पंचायत लाखागढ़ के सामुदायिक भवन में ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक/[illegible] दिनांक [illegible] तथा कलेक्टर जिला बस्तर (छ.ग.) के आदेश क्रमांक/[illegible] ग्राम सभा [illegible] दिनांक 06 सितम्बर 2015 के परिपालन में [illegible] अधिकारी जनपद पंचायत बस्तर जिला बस्तर के [illegible] दिनांक [illegible] के परिपालन में आज [illegible] ग्राम सभा आयोजित किया गया। ग्राम सभा में उपस्थित समस्त नागरिकों की सहमति से ग्राम के प्रमुख [illegible] नागरिक श्री [illegible] राम [illegible] के मार्ग के [illegible] की अध्यक्षता करने के लिए सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया। इसके पश्चात ग्राम सभा में उपस्थित प्रतिनिधि [illegible] श्री [illegible], [illegible] श्री [illegible], [illegible] श्री [illegible] श्री [illegible] श्री [illegible] श्री [illegible] श्री [illegible] श्री [illegible] सहित सभी उपस्थित नागरिकों से [illegible] महोदय के ग्राम सभा की कार्यवाही [illegible] में अवगत कराया गया।	
	[illegible] 01 के कारण ग्राम सभा में उपस्थित [illegible] के समक्ष ग्राम सभा की पूर्व प्रतिवेदन में पारित [illegible] पालन, प्रचार-प्रसार भवन, [illegible] निर्माण, [illegible] [illegible] की पारा लाखागढ़ के [illegible] सिंचाई [illegible] 02 के कारण ग्राम सभा में उपस्थित [illegible] के समक्ष ग्राम पंचायत लाखागढ़ में [illegible] वर्ष [illegible] के वित्तीय [illegible]	

प्रपत्र-4 (नियम देखिए-13)

ग्राम सभा

ग्राम सभा के

1. ग्राम पंचायत का नाम — [illegible]
2. बैठक का स्थान — सामुदायिक भवन - [illegible]

अनुक्रमांक (1)	ग्राम सभा के समक्ष रखे गये विषय (2)
3.	पंचायत के सभी वर्तमान पदाधिकारियों तथा अधिकारियों/कर्मचारियों जिनके स्थानांतरण के लेखा हिसाब देना है उनका बकाया राशि हो उनके नाम को बैठक ग्राम सभा में बताया जाय।
4.	अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) के प्रावधानों के क्रियान्वयन के संबंध में ग्राम सभा को अवगत कराया जाय।
5.	मुखिया जी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत किये गये ग्राम पंचायत में जनवरी परिवार वार रोजगार की मांग के आधार पर वर्ष की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ग्राम सुविधा कराने की अपेक्षा का अनुपालन तथा अलग कराये गये रोजगार की स्थिति की समीक्षा की जाय।
6.	सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण एवं लिंग सूचित का सामाजिक सत्यापन के संबंध में कार्यवाही।

स्थान : तारीख :

कार्य वाही पंजी

विवरण

कार्यवृत्त अभिलेख

1. उपस्थित ग्राम सदस्यों की संख्या — 46
2. अभिलेख की तारीख — 6/12/15
3. अभिलेख का समय — 2:00 बजे

अभिलेख के कार्यवृत्त (3)
[illegible]
[illegible]
[illegible]

प्रपत्र-2 (नियम 3(1)-(2))

ग्राम सभा

ग्राम सभा के

1. ग्राम पंचायत का नाम : तारागढ़
2. अधिवेशन का स्थान : [illegible] तारागढ़

क्रमांक (1)	ग्राम सभा के समक्ष रखे गये बिन्दु (2)
7.	मेला/त्योहार/जुलूस की व्यवस्था के संबंध में अधिकारी/कर्मचारी एवं जन-व्यवस्था की समीक्षा।
8.	स्वामी आत्मानन्द सरस्वती की पुस्तकें ग्रामसभा के पठन हेतु उपलब्ध कराने बाबत् ग्राम सभा में चर्चा की जाय।
9.	शिक्षा अधिकार के तहत ग्रामीण स्वच्छता अभियान के लाभार्थियों के लिए बने हैं निर्मित/निर्माणाधीन शौचालय की स्थिति की समीक्षा की जाय।
10.	ग्राम के अंदर समय पर पहुंच मार्ग सुविधा के लिए ग्रामवार स्तर पर उपलब्धित भूमि में समय पर जाने वाले प्रेमियों को अनिवार्य रूप से लाभ उपलब्ध कराने की चर्चा की जाय।

कार्यवाही पंजी

अधिसूचित अभिलेख

1. उपस्थित ग्राम सदस्यों की संख्या : [illegible]
2. अधिवेशन की तारीख : 6/11/2015 अधिवेशन का समय : 2:00

अधिवेशन के कार्यवृत्त (3)
[illegible]

ग्राम सभा

ग्राम सभा के

1. ग्राम पंचायत का नाम: लागपैर
2. बैठक का स्थान: सामुदायिक भवन लागपैर

क्रमांक (1)	ग्राम सभा के समक्ष रखे गये विषय (2)	
	दिनांक 02 अक्टूबर 2015 को आयोजित किये जाने वाले ग्राम सभा में स्वच्छ भारत मिशन पर विस्तृत चर्चा किया जाना है। इस चर्चा हेतु निम्नलिखित बिन्दु विचारार्थ रखे जाते हैं:-	
	(i) स्वच्छ भारत मिशन के तहत विगत छः वर्ष की उपलब्धि पर चर्चा।	
	(ii) ग्राम में प्रचलित कचरा प्रबंधन की स्थिति की समीक्षा पर चर्चा।	
	(iii) आगामी छः वर्ष के दौरान स्वच्छता के उद्देश्य को याद रखने के लिए चलाये जाने वाले कार्यों की कार्ययोजना तैयार करने पर चर्चा।	

कार्यवाही पंजी

प्रस्तुत अभिलेख

उपस्थित ग्राम सदस्यों की संख्या: 44

बैठक की तारीख: 5/10/2015

बैठक के कार्यवृत्त (1)
बैठक क्रमांक (i) के अन्तर्गत स्वच्छ भारत मिशन के तहत विगत छः वर्ष की उपलब्धि पर चर्चा किया जाकर ग्राम पंचायत क्षेत्र में छः वर्ष में [illegible]
बैठक क्रमांक (ii) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में प्रचलित कचरे की स्थिति की समीक्षा [illegible]
बैठक क्रमांक (iii) पर चर्चा किया गया [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

प्रारूप-ए
(देखिए नियम-13)

ग्राम सभा उपस्थिति पंजी

ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति पंजी

1. ग्राम पंचायत का नाम .....
2. ग्राम सभा का नाम .....
3. सम्मिलन की तारीख .....
4. सम्मिलन का प्रारम्भ .....
5. सम्मिलन का समय .....

अनुक्रमांक (1)	सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों के नाम (2)	सदस्यों के हस्ताक्षर (3)
		श्रीमती लविता कश्यप
		श्रीमती शिव कुमारी
		कु. सलमी कश्यप
		कुंती
		[illegible]
		[illegible]
		[illegible]
	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	श्रीमती [illegible]
		[illegible]
		[illegible]
		[illegible]
		[illegible]
		[illegible]
		[illegible]

अनुक्रमांक (1)	सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों के नाम (2)	सदस्यों के हस्ताक्षर (3)
	[illegible]	[illegible]
		[illegible]
		[illegible]
		[illegible]
		[illegible]
		[illegible]
		[illegible]
		[illegible]
		[illegible]
		[illegible]
		[illegible]
		[illegible]
		[illegible]
		[illegible]
		[illegible]
		[illegible]
		[illegible]
		[illegible]

प्रारूप-4
(देखिए नियम-13)

ग्राम सभा उपस्थिति पंजी

ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति पंजी

1. ग्राम पंचायत का नाम .....
2. ग्राम सभा का नाम .....
3. सम्मिलन की तारीख .....
4. सम्मिलन का स्थान .....
5. सम्मिलन का समय .....

अनुक्रमांक (1)	सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों के नाम (2)	सदस्यों के हस्ताक्षर (3)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

अनुक्रमांक (1)	सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों के नाम (2)	सदस्यों के हस्ताक्षर (3)
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		

कार्यालय
ग्राम पंचायत महुपालवरई
जनपद पंचायत बस्तर, जिला बस्तर (छ.ग.)

प्रपत्र--"अ"

क्रमांक..... ग्राम सभा दिनांक 25/08/2016 की बैठक दिनांक 25/08/2016

का कार्यवाही विवरण

ग्राम: महुपालवरई

दिनांक .....

स्थान: .....

आज दिनांक 25/08/2016 को ग्राम महुपालवरई के सरपंच श्री/श्रीमती [illegible] की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के ..... सदस्य ..... प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई:-

1. ग्राम महुपालवरई में आवेदक [illegible] लिमिटेड ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु ..... हे. वन भूमि 0.913 हे. राजस्व वन भूमि, कुल 0.913 हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबद विस्तृत चर्चा की गयी।

2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबद ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।

3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि ..... कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रस्तावित वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी / गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में)
	महुपालवरई	निरंक	

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि ..... हे. वन भूमि / 0.913 हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग 0.913 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स [illegible] लिमिटेड (आवेदक) [illegible] लि. को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

हस्ताक्षर .....
नाम .....
सरपंच .....
सील

सचिव
ग्राम पंचायत महुपालवरई
जनपद पंचायत बस्तर (छ.ग.)

उपस्थित सदस्य गण

क्रमांक	नाम	हस्ताक्षर / अंगूठा निशान

प्रपत्र-4 (दीनदयाल नियम-14)

ग्राम सभा

ग्राम सभा के

1. ग्राम पंचायत का नाम
2. सम्मिलन का स्थान

अनुक्रमांक (1)	ग्राम सभा के समक्ष रखे गये विषय (2)	
		रामपुर के 08.08.2016 सभा में अपोजल किया
5.1	ग्राम सभा की पूर्व पारित संकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन का वाचन प्रस्तुतीकरण	संकल्पों के यानगणी
5.2	स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत निर्मित शौचालयों के सुचारू उपयोग हेतु ग्राम में शौच मुक्त शौचालयों को ग्राम को भी खुले में शौच मुक्त करने का भी लक्ष्य प्राप्त करने हेतु ग्राम सभा प्रस्तावित किया यानी शौचालय निर्माण शौचालय उपयोग हेतु निर्धारित की अवधि का गठन आदि का चयन की जाए	ग्राम
5.3	अन्य	

सचिव

कार्यवाही पंजी

कार्यवृत्त अभिलेख

3. उपस्थित ग्राम सदस्यों की संख्या 60
4. सम्मिलन की तारीख 25/08/2016 5. सम्मिलन का समय 12:30

सम्मिलन के कार्यवृत्त (3)
अध्यक्ष ग्राम संगठन पंचायत सचिवालय द्वारा [illegible] पत्रांक 1493/पंचा./2016 द्वारा [illegible] पंचायत में ग्राम सभा में पंचायत स्तर प्रमाणित का सभा का आयोजन किया जाना है। आज दिनांक 25/08/2016 को विशेष ग्राम सभा का जिसकी उपस्थिति की सूची संलग्न है इस किया
ग्राम सभा में चर्चा किया गया कि वर्ष पारित क्रियान्वयन संबंधी पंचम प्रतिवेदन का वाचन किया ग्रामसभा में की गई।
उक्त ग्राम सभा की बैठक में चर्चा किया गया कि पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत निर्मित शौचालय उपयोग सुचारू रूप से शौच मुक्त शौचालय समाप्त किया जाना है एवं उपयोग अवधि शौचालय की जानकारी दी गई [illegible] निगरानी समिति निर्माण किया गया

सचिव

ग्राम पंचायत सहायक सचिव

ग्राम पंचायत सचिव के हस्ताक्षर का नमूना

ग्राम सभा कार्यवाही पंजी

प्रपत्र-4 (देखें नियम-13)

ग्राम सभा के

1. ग्राम पंचायत का नाम: [illegible]
2. सम्मिलन का स्थान: [illegible]

कार्यवृत्त अभिलेख

3. उपस्थित ग्राम सदस्यों की संख्या: 60
4. सम्मिलन की तारीख: 25/04/2016 5. सम्मिलन का समय: 02:30

अनुक्रमांक (1)	ग्राम सभा के समक्ष रखे गये विषय (2)	सम्मिलन के कार्यवृत्त (3)
5.3	14 वें वित्त आयोग अंतर्गत ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अनुदान प्राप्त करने के निर्धारित नियम / शर्तों का पालन किया जाना	[illegible]
(क)	पंचायत द्वारा कार्यों का आयोजन किया जाना	जाना है
(ख)	पंचायत द्वारा आयोजित कार्य के विवरण से नई पंजिका	में करी
(ग)	पिछले वर्ष की तुलना में व्यय के अनुपात में वृद्धि,	
(घ)	ग्राम पंचायत के वे वर्ष सर्वे के अधीन किया व पंजी में कार्यों के आयोजन तथा अधिक पंजिका के पालिका आंकड़े	कि सभी
(ङ)	ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के आयोजित कार्यों की अनुसूची / योजना सूची का प्रदर्शन।	की फोटो

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के आयोजित कार्यों की अनुसूची / योजना सूची का प्रदर्शन किया गया।

ग्राम पंचायत में हुये कार्य का प्रतिवेदन किया विस्तृत चालान लेखा में भी [illegible]

उक्त बैठक में यह चर्चा किया गया कि आज पंचायत का प्रतिवेदन कि विकास की जानकारी किया [illegible] विस्तृत योजनाओं आज लेखा में भी [illegible]

आज सभा के समक्ष यह चर्चा किया गया पंचायत कार्य हुये को वर्ष के लेखा का है व्यय पालकार्य आज लेखा में भी [illegible]

आज पंचायत द्वारा सभी से प्रतिवेदित कार्य वसूली / व्यवस्था सही है।

हस्ताक्षर
पदेन
ग्राम पंचायत

हस्ताक्षर
ग्राम पंचायत के उपस्थित एक सदस्य

तारीख

ग्राम सभा कार्यवाही पंजी

ग्राम सभा के

1. ग्राम पंचायत का नाम
2. तहसील का नाम

क्रमांक | ग्राम सभा के समक्ष रखे गये विषय | निर्णय

5.5 ग्राम [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible]

ग्राम सभा कार्यवाही पंजी

प्रारूप-ब (देखिए नियम-3)

ग्राम सभा के

1. ग्राम पंचायत का नाम
2. सम्मिलन का स्थान

कार्यवृत्त अभिलेख

3. उपस्थित ग्राम सदस्यों की संख्या
4. सम्मिलन की तारीख
5. सम्मिलन का समय

क्रमांक (1)	ग्राम सभा के समक्ष रखे गये विषय (2)	सम्मिलन के कार्यवृत्त (3)
1	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत के जानकारी आवश्यक कृषि जाए उसके तहत आवेदन आमंत्रित कृषित प्रकरणों के अन्तर्गत में की जानकारी दी जाए	अधिकार की विषय में विस्तृत
2	डॉ. बी.पी. ने अंतर्गत राजकीय शिक्षा गुणवत्ता अभियान अंतर्गत शालाओं के स्तर बढ़ाने प्रयासों किया अभियान गुणवत्ता शिक्षा आवश्यक उपस्थित कराया जाए	आपस में चर्चा ग्राम
3	समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं तथा पंजीयन निःशुल्क विधवा पेंशन संचालित के लिए योजनाओं के अन्तर्गत पात्र विधवाओं के आवेदन आमंत्रित दी जाए।	द्वारा अभियान संचालित में दी गई।
4	स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत के लिए के अन्तर्गत के पात्र हितग्राहियों के चयन करने के संबंध में चर्चा की जाए	ग्राम सभा

तारीख

ग्राम सभा के सदस्यों के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान

उक्त बैठक में चर्चा करवाया गया कि दिनांक 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर ग्राम सभा में आयोजित किया जाने वाले कार्यों की चर्चा की गई।

उक्त ग्राम सभा बैठक में चर्चा विषय समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं तथा वृद्धजनों विधवा पेंशन के लिए पात्र हितग्राही एवं आवेदन प्रस्तुत करने के अन्य जानकारियों की जानकारी

उपस्थित आमजनों को योजनाओं की प्रक्रिया के अन्तर्गत में की जानकारी दी गई।

सरपंच

ग्राम पंचायत सचिव

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत सचिव के हस्ताक्षर का नाम मुहर

प्रारूप-4 (देखिए नियम-13)

ग्राम सभा कार्यवाही पंजी

ग्राम सभा के कार्यवृत्त अभिलेख

1. ग्राम पंचायत का नाम [illegible]
2. सम्मिलन का स्थान [illegible]
3. उपस्थित ग्राम सदस्यों की संख्या 62
4. सम्मिलन की तारीख [illegible] 5. सम्मिलन का समय 12:30

अनुक्रमांक (1)	ग्राम सभा के समक्ष रखे गये विषय (2)	सम्मिलन के कार्यवृत्त (3)
5-26	कलेक्टर / जिला पंचायत / जनपद पंचायत / ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अन्य विषयों को ग्राम सभा के एजेण्डे में सम्मिलित करते हैं।	मैं स्थानीय निम्न विषयों पर चर्चा किया गया कि ग्राम पंचायत की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए ग्राम सभा में एजेण्डे में सम्मिलित किया गया। सूची निम्नानुसार है। (1) वार्डवार निर्माण (2) पेयजल विस्तार (3) हैण्ड पम्प (4) वृक्षारोपण विभिन्न ग्राम (5) कोपा सड़क निर्माण (6) पशुधन हेतु चारागाह संरक्षित करने हेतु (7) बीपीएल का आमरिकार स्थायी कनेक्शन हेतु (8) वेश्या कार्य मंडल पिता नरसिंह

ग्राम सभा सचिव

सरपंच

सचिव

ग्राम पंचायत

सरपंच: [illegible]

ग्राम पंचायत सचिव

पंचायत समिति [illegible]

ग्राम पंचायत सचिव के हस्ताक्षर एवं स्थान मुहर

प्रपत्र - 6
(विधि नियम-13)

ग्राम सभा उपस्थिति पंजी

ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति पंजी

1. ग्राम पंचायत का नाम .....
2. ग्राम सभा का नाम .....
3. सम्मिलन का तारीख .....
4. सम्मिलन का स्थान .....
5. सम्मिलन का समय .....

अनुक्रमांक (1)	सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों के नाम (2)	सदस्यों के हस्ताक्षर (3)
1	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]
23	[illegible]	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]
25	[illegible]	[illegible]
26	[illegible]	[illegible]
27	[illegible]	[illegible]
28	[illegible]	[illegible]
29	[illegible]	[illegible]
30	[illegible]	[illegible]

प्रस्तावित क्षेत्र के 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (केवल खनन प्रकरणों में)

आवश्यकता नहीं है।

(राजु अगसिमनि)
(भा.व.से.)
वनमंडलाधिकारी
वनमण्डल बस्तर जगदलपुर

वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा)

(भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/F.No. 11-9/1998-FC दिनांक 03.08.2009)

इस योजना हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/**F.No. 11-9/1998-FC** दिनांक 03.08.2009 के अनुसार (प्रपत्र–ब एवं स) संलग्न है।

Reliance Jio Infocomm Ltd.

(अमन कुमार सिंह)
महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड
रायपुर छत्तीसगढ़

प्रदर्श – ''स''

/ /प्रमाण पत्र/ /

महाप्रबंधक (जनर्पी0 आफेयर्स) रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड रायपुर (छ0ग0) के द्वारा 4 जी टेलीकॉम सर्विस कार्य के लिए आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु जिला बस्तर में बस्तर वन मण्डल के ग्राम चपका, तारागांव, महुपाल बरई, परचनपाल, बालेंगा, भानपुरी, आसना, करन्दोला, मेटावाड़ा, सोनारपाल, बस्तर, मुंजला के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु कुल रकबा 0.699 हेक्टेयर वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम् 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1/ प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है, तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि 0.449 हे0 एवं राजस्व वन भूमि 0.250 हे0, कुल रकबा 0.699 हे0 जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है, तथा ग्राम चपका, तारागांव, महुपाल बरई, परचनपाल, बालेंगा, भानपुरी, आसना, करन्दोला, मेटावाड़ा, सोनारपाल, बस्तर, मुंजला में स्थित है, में तद्नुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गई है।

2/ ग्राम सभाओं की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्तावित का प्रतिवेदन (प्रदर्श–''ब'') पर दर्शित है ।

3/ प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव ग्राम पंचायत चपका, तारागांव, महुपाल बरई, परचनपाल, बालेंगा, भानपुरी, आसना, करन्दोला, मेटावाड़ा, सोनारपाल बस्तर, मुंजला में सरपंचो की अध्यक्षता में ग्राम सभा रखा गया था। (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें दिनांक सहित) एवं इसमें ग्राम सभा तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत कराकर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी। यह पाया गया कि इस क्षेत्र उपरोक्त अधिनियम के तहत् वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं है ।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है :–

क्रमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे0 में)
1	भानपुरी	निरंक	निरंक
2	सोनारपाल	–/–	–/–
3	चपका	–/–	–/–
4	तारागांव	–/–	–/–
5	महुपालबरई	–/–	–/–
6	बालेंगा	–/–	–/–
7	आसना	–/–	–/–
8	मेटावाड़ा	–/–	–/–
9	करन्दोला	–/–	–/–
10	परचनपाल	–/–	–/–
11	मुंजला	–/–	–/–
12	बस्तर	–/–	–/–

3/ यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गए, उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।

4/ यह प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम सभाओं के ठहराव प्रस्ताव दिनांक के अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी0टी0जी0) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार " अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006" की धारा 3(1)(म) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है ।

5/ उक्त ग्राम सभाओं के दिनांक के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है ।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

दिनांक – 24/11/2016

(अमित कटारिया)
कलेक्टर
अध्यक्ष, जिला वन अधिकार समिति
जिला बस्तर

प्रपत्र – 'ग'

ग्राम सभा .....की दिनांक .....

का कार्यवाही विवरण

ग्राम .....

खण्ड .....

आज दिनांक .....को ग्राम .....

.....

.....

.

कार्यवाही बैठक की नकल

दिनांक

सत्य प्रतिलिपि

कार्यालय,ग्राम-पंचायत:- विकास खण्ड : जिला:

क्र.	उपस्थित पंचों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर

दिनांक

सचिव
ग्राम पंचायत भानपुरी
उनवल पंचायत समिति

सरपंच
ग्राम पंचायत भानपुरी
उनवल पंचायत समिति

ग्राम पंचायत:-

वि.खं.

ग्राम सभा ..... की बैठक दिनांक [illegible]

का कार्यवाही विवरण

ग्राम: सोनाखार पाल

[illegible]

आज दिनांक [illegible] को ग्राम [illegible] में [illegible] बैठक [illegible]

[illegible] की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा [illegible]

[illegible] की उपस्थिति [illegible] थी। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई।

1. [illegible] प्रतिवेदन [illegible] थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई।

ग्राम सोनाखार पाल में आवेदन [illegible] में [illegible] व्यक्तिगत वन अधिकार [illegible] के प्रयोजन हेतु 0.261 हे. वन भूमि [illegible] की गई है। इस संबंध में सर्वसम्मति विस्तृत चर्चा की गयी।

2. [illegible] के तथ्य, उद्देश्य एवं एकल प्रस्तावित आवश्यकता [illegible] की गयी।

बैठक ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।

3. [illegible] वन अधिकार प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी [illegible] वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। [illegible] भूमि ..... कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी व्यक्तिगत वन अधिकारी [illegible] एकल प्रस्तावित वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य प्राकृतिक गतिविधि नहीं संचालित कर रहे हैं एवं [illegible] में वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को वन प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

[illegible] / गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है।

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	एकल / सामुदायिक

निर्णय :-

अतः यह सर्वसम्मति से ग्राम सभा ने निर्णय लिया कि 0.261 हे. वन भूमि [illegible] वन भूमि, कुल मात्र 0.261 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु कार्य [illegible] (आवेदक) [illegible] कि [illegible] को अन्य प्रस्तावित विषयों पर प्रावधान अनुसार अनुमोदित की जाती।

(श्रीमती श्याम कुमारी [illegible])
सरपंच
ग्राम पंचायत सोनाखार
जनपद पंचायत बस्तर

([illegible])
सचिव
ग्राम पंचायत सोनाखार
जनपद पंचायत बस्तर

उपस्थित सदस्य गण:

क्रमांक नाम हस्ताक्षर / अंगूठा निशान

प्रपत्र - "ब"

ग्राम सभा [illegible] की बैठक दिनांक .....

वन कार्यवाही विवरण

ग्राम: [illegible] दिनांक: [illegible]

स्थान: [illegible]

आज दिनांक 22.09.16 को ग्राम ..... के [illegible] श्री/श्रीमती [illegible]

[illegible] की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आयुक्त की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के ..... [illegible] ..... उपस्थित उपस्थित थे। बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई:-

1. ग्राम [illegible] में आवेदक [illegible] (गैर आदिवासी कब्जा) के लिए वन भूमि के अवमुक्त किए ..... है, वन भूमि 0.006 है. कब्जा वन भूमि, कुल [illegible] है. वन भूमि की सीमा तय की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी।

2. प्रस्ताव के लाभ, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।

3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि ..... कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परम्परागत वनवासी इस प्रस्तावित वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संचालित कर रहे है एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी / गैर परम्परागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र प्राप्त का नाम	रकबा (है.में)
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]

अतः यह एकमत से ग्राम सभा ने निर्णय लिया गया कि ..... वन भूमि 0.006 है. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु [illegible] राजस्व वन भूमि, कुल योग 0.006 है. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु [illegible] (आवेदक) [illegible] को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जाये।

श्रीमती [illegible] कुमारी [illegible]
ग्राम पंचायत [illegible]
[illegible]
सील

[illegible]
ग्राम पंचायत [illegible]
[illegible]

उपस्थित सदस्य गण:

क्रमांक नाम हस्ताक्षर / अंगूठा निशान

कार्यवाही बैठक की नकल

दिनांक .....

सत्य प्रतिलिपि

कार्यालय, ग्राम-पंचायत:- [illegible] विकास खण्ड : [illegible] जिला: [illegible]

क्र.	उपस्थित पंचों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
6	[illegible]		[illegible]		
7	[illegible]		[illegible]		
8	[illegible]		[illegible]		
9	[illegible]		[illegible]		
10	[illegible]		[illegible]		
11	[illegible]		[illegible]		

क्रमांक..... दिनांक.....

सचिव

ग्राम पंचायत:- [illegible]

वि.ख.

ग्राम सभा [illegible] की बैठक दिनांक 25/12/14

वन कार्यवाही विवरण

ग्राम: [illegible] दिनांक 25/12/14

समय: [illegible]

ग्राम सभा [illegible] 25/12/14 को ग्राम [illegible] [illegible] की गयी। उक्त बैठक में ग्राम सभा [illegible] की उपस्थिति में [illegible] में वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की कार्यवाही [illegible] निम्न निर्णयों पर चर्चा की गयी:-

1. [illegible] के लिए दावेदारी करने के लिए वन भूमि [illegible] के कब्जे में वन भूमि [illegible] है। इस संबंध में दावेदार [illegible] किया गया।

2. प्रस्तावित वन अधिकार, उपबंधों तथा नियम प्रस्तावित व्यवस्थित किया जाने वाला वन भूमि का उपयोग [illegible] की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।

3. इस वन अधिकार प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी [illegible] अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि [illegible] कार्य के प्रयोजन के लिए प्रस्तावित है, वह [illegible] में आदिवासी एवं परंपरागत [illegible] इस प्रयोजन वन भूमि पर भूमि [illegible] नहीं सत्यापित कर रहे हैं [illegible] कार्य की उक्त अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को अभी प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

गैर आदिवासी / गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों का वन अधिकार मान्यता पत्र निरस्त किया जाता है

क्रम सं.	वन का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.)
[illegible]			

उक्त वन अधिकार से वन ग्राम में निर्णय लिया गया कि [illegible] हे. वन भूमि / [illegible] हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स [illegible] को वन भूमि [illegible] हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स [illegible] को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यवस्थित की जाये।

हस्ताक्षर [illegible]

नाम [illegible]

पदनाम [illegible]

[illegible]

उपस्थित अधिकारी गण

[illegible]

उपखण्ड / अनुविभाग [illegible]

ग्राम सभा

ग्राम सभा के

प्रपत्र-4 (देखिए नियम 13)

1. ग्राम पंचायत का नाम .....
2. अधिवेशन का स्थान .....

अनुक्रम संख्या (1)	ग्राम सभा के समक्ष रखे गये विषय (2)
	[illegible]

...ी

कार्यवृत्त अभिलेख

3. अधिवेशन की तारीख 25/9/2016 4. अधिवेशन का समय .....
5. उपस्थित ग्राम सदस्यों की संख्या .....

अधिवेशन के कार्यवृत्त (3)
[illegible]

ग्राम सभा

ग्राम सभा के

प्रपत्र-4 (देखिए नियम 13)

1. ग्राम पंचायत का नाम .....
2. अधिवेशन का स्थान .....

अनुक्रम संख्या (1)	ग्राम सभा के समक्ष रखे गये विषय (2)
	[illegible]

...ी

कार्यवृत्त अभिलेख

3. अधिवेशन की तारीख 25/9/2016 4. अधिवेशन का समय .....
5. उपस्थित ग्राम सदस्यों की संख्या .....

अधिवेशन के कार्यवृत्त (3)
[illegible]

ग्राम सभा

ग्राम सभा के

पंजी

कार्यवृत्त अभिलेख

1. ग्राम पंचायत का नाम .....
2. अधिवेशन की तारीख ..... 4. अधिवेशन का समय .....
3. उपस्थित ग्राम सभाओं की संख्या .....
4. अधिवेशन का स्थान .....

[illegible]	ग्राम सभा के समक्ष रखे गये विषय	अधिवेशन के कार्यवृत्त
	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		
32.		
33.		
34.		
35.		
36.		
37.		
38.		
39.		
40.		
41.		
42.		
43.		
44.		
45.		
46.		
47.		
48.		
49.		
50.		
51.		
52.		
53.		
54.		
55.		
56.		
57.		
58.		
59.		
60.		
61.		
62.		
63.		
64.		
65.		
66.		
67.		
68.		
69.		
70.		
71.		
72.		
73.		
74.		
75.		
76.		
77.		
78.		
79.		
80.		
81.		
82.		
83.		
84.		
85.		
86.		
87.		
88.		
89.		
90.		
91.		
92.		
93.		
94.		
95.		
96.		
97.		
98.		
99.		
100.		

प्रपत्र-4 (देखिए नियम-13)

ग्राम सभा

ग्राम सभा के

1. ग्राम पंचायत का नाम .....
2. सम्मिलन का स्थान .....

क्रमांक (1)	ग्राम सभा के समक्ष रखे गये विषय (2)	
	(5) [illegible]	
	(6) [illegible]	
	(7) [illegible]	
	(8) [illegible]	

स्थान : .....

तारीख : .....

पंजी

कार्यवृत्त अभिलेख

2. सम्मिलन की तारीख .....
4. सम्मिलन का समय .....
5. उपस्थित ग्राम सदस्यों की संख्या .....

सम्मिलन के कार्यवृत्त (3)
[illegible] घर से [illegible] घर तक [illegible] मी. [illegible]
[illegible] से [illegible] घर तक [illegible] मी. [illegible]
[illegible] घर तक [illegible] मी. [illegible]
[illegible]

ग्राम सभा के सचिव के हस्ताक्षर से भरे जाएं

प्रपत्र - 4 (देखिए नियम - 13)

ग्राम सभा

ग्राम सभा के

1. ग्राम पंचायत का नाम .....
3. संनिवेशन का स्थान .....

क्रमांक	ग्राम सभा के समक्ष रखे गये विषय (2)	
	[illegible]	

स्थान
तारीख

जी

कार्यवृत अभिलेख

2. संनिवेशन की तारीख .....
4. संनिवेशन का समय .....
5. उपस्थित ग्राम सदस्यों की संख्या .....

संनिवेशन के कार्यवृत्त (3)
[illegible]

[illegible]